



E.Mail. eepduki.pwduk@gov.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

Fax No-01374-222108



Tel.No- 01374-222108

पत्रांक 3532/वन/2020

दिनांक 22/12/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा-धनारी-सेम-मुखेम मोटर मार्ग का पट्टड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (लम्बाई 10.00 किमी0)।

महोदय,

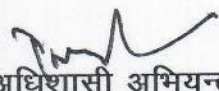
उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 14-09-2020) का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	मोटर मार्ग के समरेखण में मार्किंग पिल्लर्स नहीं लगाये गये हैं, जिससे मोटर मार्ग के समरेखण का पता नहीं चल पा रहा है। अतः मार्किंग पिल्लर्स लगाये जाने अति आवश्यक हैं।	इस समरेखण में पूर्व में (वर्ष 2013) में मार्किंग पिल्लर्स लगाये गये थे किन्तु काफी समय व्यतीत होने जाने के कारण स्थल झाड़ियां उग आई हैं, जिस कारण कुछ पिल्लर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, व कुछ पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। किन्तु वर्ष 2013 में निर्मित पिल्लर्स के आधार पर ही वृक्षों की गणना हुई है। कुछ स्थान जहां पर पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन स्थानों पर पेंट द्वारा मार्किंग कर दी गयी है।
2	वैकल्पिक समरेखण (Alternate alignment) में आने वाले वृक्षों एवं भूमि का विवरण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इसे सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।	वैकल्पिक समरेखण तकनीकी तौर पर उचित न होने के कारण इस पर मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है, जिस हेतु इस समरेखण पर वृक्षों की गणना उचित नहीं है। इस समरेखण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा भी सहमति नहीं दी गयी है। विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक समरेखण पर भी विचार किया गया था, किन्तु प्रारम्भ के 5 किमी0 में ही वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण में बांज, बुरांश के लगभग 1352 व चीड़ के 1765 वृक्ष आ रहे हैं जबकि जो कि प्रस्तावित समरेखण में आ रहे बांज, बुरांश (972) व चीड़ (718) से अधिक हैं। अतः भू-वैज्ञानिक की आख्या व वनभूमि व वन सम्पदा की अधिक क्षति को देखते हुए वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया है।

3 प्रस्ताव मे संधारित किये गये मक डम्पिंग प्लान का अवलोकन करने पर देखा गया कि परियोजना मे उपयोग मे लाये जाने वाले मलबे की मात्रा 50 प्रतिशत दिखायी गयी है, जो कि वास्तव मे सम्भव प्रतीत नही होता है। इसलिये उक्त परियोजना हेतु नया मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर प्रस्ताव मे संधारित किया जाना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या- 3 को स्थल पर दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
---	---

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।
